राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
वित्त भवन, ए–ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ जयपुर–302005
(दूरभाष 0141–2740735, फैक्स 0141–2742309 ई–मेलः jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांकः– एफ.4(ई)(1)(6)/अलेसे–III/8711 दिनांकः– 28-10-2025

आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 14974/2025 विक्रम सैनी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.08.2025 में याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। याचिकार्थी द्वारा कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती परीक्षा 2023 में विभागीय पदस्थापन आदेश दिनांक 06.04.2025 में गृह जिले से अन्य जिले में पदस्थापन किये जाने के विरूद्व याचिका दायर की गयी थी।

इस क्रम में उल्लेखनीय है कि कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती 2023 में पदस्थापन के दौरान महिलाओं एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देते हुए शेष कार्मिकों के समुचित प्रशासनिक कारणों को दृष्टिगत रखते हुए पदस्थापन किये गये हैं। सीकर जिले में कनिष्ठ लेखाकार/सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II के लगभग 79 पद रिक्त है जबकि लगभग 304 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। सीकर जिले के लगभग 175 अभ्यर्थियों का उदयपुर एवं लगभग 49 अभ्यर्थियों का राजसमंद में पदस्थापन किया गया है। अतः प्रशासनिक व्यवस्था को कार्यकुशल बनाये रखने हेतु एवं विभिन्न कार्यालयों का सुचारू रूप से संचालन किये जाने हेतु उदयपुर तथा राजसमंद जिला स्थित कार्यालयों में भी रिक्त पदों पर कार्मिकों का तदनरूप ही पदस्थापन किया गया है।

सीकर जिले के अतिरिक्त अन्य जिले यथा चुरू, झुन्झुनू, जयपुर, नागौर, डीडवाना–कुचामन, करौली, सवाईमाधोपुर, दौसा, हनुमानगढ़, कोटपूतली–बहरोड़ आदि में भी रिक्त पदों से अधिक अभ्यर्थियों का चयन होने पर अन्य जिलों में रिक्त पदों पर प्रशासनिक कारणों को दृष्टिगत रखते हुए एवं राजकार्य में कुशलता सुनिश्चित रखने एवं कार्यालयों का सुचारू रूप से संचालन किए जाने हेतु पदस्थापन किया गया है।

इस प्रकार प्रशासनिक आवश्यकता एवं कार्य कुशलता के मद्देनजर राज्य हित में श्री विक्रम सैनी का पदस्थापन किया गया है।

अतः याचिकार्थी श्री विक्रम सैनी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन एतद् द्वारा निस्तारित किया जाता है।

(अमिता शर्मा)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः– एफ.4(ई)(1)(6)/अलेसे–III/8711 दिनांकः– 28-10-2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
3. संयुक्त विधि परामर्शी, कोष एवं लेखा विभाग।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित याचिकार्थी सर्वश्री...।
6. रक्षित/निजी पत्रावली।

(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक–II/III)